



पत्रांक 780/पी०एम०जी०एस०वाई०/सि०ख०-दे०दून/वन भूमि

दिनांक 05/07/2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग,
मसूरी, उत्तराखण्ड।

विषय:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पुरकुल गांव से भीतरली किमाडी मोटर मार्ग (कुल लम्बाई-10.400 किमी०) के नव निर्माण हेतु 3.528 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड को हस्तान्तरण प्रस्ताव। (FP/UK/ROAD/20710/2016)

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र), देहरादून का पत्रांक- 8बी./यू.सी.पी./06/120/2018/एफ.सी./586, दिनांक 11.06.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयक का अवलोकन करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपरोक्त मोटर मार्ग के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र), देहरादून द्वारा 1980 के पूर्व की सर्वे ऑफ इण्डिया की टोपोशीट एवं लाभान्वित होने वाले ग्राम भीतरली की स्थिति के०एम०एल० फाईल पर अंकित कर भारत सरकार को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था।

इस संबंध में यह अवगत कराना है, कि सर्वे आफ इण्डिया द्वारा अपने पत्रांक-2030, दिनांक 03.07.2019 द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया है, कि सम्बन्धित क्षेत्र की 1980 के पूर्व की सर्वे ऑफ इण्डिया की टोपोशीट सैन्य क्षेत्र होने के कारण उपलब्ध नहीं करायी जा सकती (पत्र संलग्न), सर्वे आफ इण्डिया द्वारा इस कार्यालय को 1988 की सर्वे ऑफ इण्डिया की टोपोशीट उपलब्ध करायी गयी है।

अतः सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा उपलब्ध करायी गयी 1988 की टोपोशीट एवं ग्राम भीतरली की स्थिति के०एम०एल० फाईल आपको इस आशय से प्रेषित है, कि कि प्रभाग स्तर से प्रकरण में शीघ्र अतिशीघ्र अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:- 1- टोपोशीट हार्ड कॉपी में।

2- सी०डी० (के०एम०एल० फाईल एवं टोपोशीट की सॉफ्ट कॉपी)

3- सर्वे आफ इण्डिया का पत्रांक-2030 दिनांक 03.07.2019।

अधिशाली अभियन्ता,

पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड,
6-इन्दिरा नगर, देहरादून।

पत्रांक /पी०एम०जी०एस०वाई०/सि०ख०-दे०दून/वन भूमि/तदिनांक

प्रतिलिपि-सहायक अभियन्ता- प्रथम, पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित है कि वन भूमि के प्रस्तावों को व्यक्तिगत रुचि लेते हुए प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग मसूरी कार्यालय से सम्पर्क कर प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें साथ ही इस कार्यालय को सूचित करें एवं साप्ताहिक प्रगति से इस कार्यालय को अवगत करायें।